उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-5986/नौ-5-2015-142सा/2015
लखनऊ:: दिनांक 20 नवम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 से पूर्व पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 'स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। **'स्वच्छ भारत मिशन'** के अन्तर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य हेतु कार्य-योजना बनाकर कार्यवाही की जानी है। इसके साथ ही साथ मिशन के अन्तर्गत अन्य विभिन्न कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जानी है। तत्क्रम में राज्य स्तर पर निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश को स्टेट लेवल मिशन डायरेक्टर नामित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पीएमयू) का गठन किया जाना है।

2- उक्त के क्रम में स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्वच्छ भारत मिशन) द्वारा पत्र संख्या-35/एसबीएम दिनांक 08.09.2015, पत्र संख्या-49/एसबीएम, दिनांक 16.09.2015 तथा पत्र संख्या-70/एसबीएम, दिनांक 02.11.2015 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम **स्वच्छ भारत मिशन** कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप/निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्टेट मिशन डायरेक्टर/निदेशक, नगर निकाय, उत्तर प्रदेश के स्तर पर **प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट** (पीएमयू) के गठन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्टेट मिशन डायरेक्टर/निदेशक, नगर निकाय, उत्तर प्रदेश के स्तर पर उनके प्रस्तावानुसार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पीएमयू) को गठित किये जाने पर एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त के अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत परियोजनाओं/कार्यो के कुशल संचालन, क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु गठित किये जाने वाले प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृत पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्तियां किये जाने हेतु राज्य मिशन निदेशक (स्वच्छ भारत मिशन)/निदेशक, नगर निकाय, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक चयन समिति का भी गठन किया जाता है-

1	राज्य मिशन निदेशक (स्वच्छ भारत मिशन)/निदेशक, नगर निकाय, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
4	मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा नामित 3 प्रतिनिधि, जिसमें एक नगरीय मामलों के विशेषज्ञ होंगे।	सदस्य
6	निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ	सदस्य
7	राज्य मिशन निदेशक (स्वच्छ भारत मिशन)/निदेशक, नगर निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य सचिव

(1) उक्त चयन समिति स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पीएमयू) के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अधीन विशेषज्ञों एवं अन्य स्टाफ के चयन की कार्यवाही करेगी।

(2) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत गठित होने वाले प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पीएमयू) द्वारा अपने निर्धारित कार्यो/दायित्वों के अतिरिक्त भारत सरकार की नवघोषित योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए रिसोर्स पार्टनर के रूप में नामित क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव।

संख्या-5986(1)/नौ-5-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
2- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/नगर विकास विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/सूडा, उ0प्र0 शासन।
6- स्टेट मिशन डायरेक्टर(स्वच्छ भारत मिशन)/निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मिशन निदेशक (स्वच्छ भारत), भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
8- मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।
9- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
12- निदेशक, सूडा, उत्तर प्रदेश।
13 समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)।
14- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगासेल/सूडा।
15- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
16- निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
17- निदेशक/संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
18- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी